

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



वार्षिक

प्रतिवेदन
2020-21

वार्षिक
प्रतिवेदन
2020 -2021



वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

प्रौद्योगिकी



शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)



❦ विषय सूची ❧

पृष्ठ सं.

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में 4 -17

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण

1. तुलन पत्र-एनएबी 19
2. आय और व्यय लेखा-एनएबी 20
3. तुलनपत्र की अनुसूची-एनएबी 21-31
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा-एनएबी 32-33
5. खातों पर नोट्स-एनएबी 34-35

एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रण 36-44
एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।
2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।
3. सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।
 - ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।
 - iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।
 - iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।
 - v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केंद्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बेंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।
 - vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।
 - vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।
 - viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।
 - ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।
 - x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

- xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।
 - xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।
4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद् एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:
- साधारण सदस्य;
 - कार्यात्मक सदस्य;
 - सदस्य केंद्र;
 - संबद्ध सदस्य;
 - मनोनीत सदस्य;
 - मानद सदस्य;

शासी परिषद् की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड
19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स

20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:
 - i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।
 - ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम) के साथ विनियम का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।
 - iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।
 - iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।
7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- I. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटींग, फोटोमिटर, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीईई।



आईकैट परिसर-1, मानेसर

- i) यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:

- शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
- संघटक विकास



शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)

- ii. वर्ष 2020-21 में, आईईसी 61000-4-34, आईईसी 61000-2-2, एआईएस 138 (भाग 1), एआईएस 138 (भाग 2) मानकों के अनुरूप आर्ककैट केंद्र-2 पर ईएमसी द्वारा चार्जिंग स्टेशन और चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण के लिए एक समर्पित 'संचालित गड़बड़ी परीक्षण सुविधा' स्थापित की गई थी। किया गया कुल निवेश लगभग रु. 10.7 करोड़ है। और कई भारतीय निर्माताओं जैसे ओकाया, ट्रॉनटेक, एक्सिकॉम, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए इसका उपयोग करके सिस्टम का परीक्षण किया गया है।



आईईसी 61000-2-2 के लिए टेस्ट (कम आवृत्ति गड़बड़ी की)

- iii. वर्ष 2020-21 में, कुल निवेश रु. 1.85 करोड़ के साथ एआईएस-004-3 के अनुसार ई-2 व्हीलर के परीक्षण के लिए ईएमसी प्रयोगशाला के भीतर एक समर्पित परीक्षण सुविधा 'एबीएस क्षमता के साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए टर्नटेबल डायनो' स्थापित की गई थी। यह सुविधा ओकाय, टीवीएस, होंडा 2-W, यामाहा, रिवोल्ट आदि जैसे निर्माताओं के लिए दोपहिया वाहनों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होने में सक्षम है।



एबीएस क्षमता के साथ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए टर्नटेबल डायनो

- iv. वर्ष 2020-21 में, आईकैट को एनवीएच टीम द्वारा समुद्री जनरेटर सेटों के परीक्षण के लिए आईकैट केंद्र-2 पर एक समर्पित 'समुद्री जनरेटर सेट परीक्षण' सुविधा स्थापित की। इसमें कुल निवेश रु. 10 लाख का किया गया और 2.5 MW तक के 17 जनरेटर सेट का परीक्षण यहाँ किया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भारतीय नौसेना द्वारा इस सुविधा का निरीक्षण और अनुमोदन भी किया गया था। आईकैट पहले ही इस वित्त वर्ष के लिए नेवल जनरेटर सेटों की परियोजना शुरू की है तथा जीआरएसई (गवर्नमेंट शिपयार्ड कंपनी) से नेवल शिप जनरेटर सेटों को परियोजना ली है।



समुद्री जनरेटर सेट परीक्षण" सुविधा

- v. एनवीएच प्रयोगशाला के भीतर एक समर्पित मॉडल परीक्षण सुविधा स्थापित की गई थी। इस सुविधा में कोई पूंजी निवेश नहीं की गई थी क्योंकि उपयोग की गयी सभी सामग्री पिछली परियोजनाओं के लिए खरीदी गई स्कैप सामग्री से बचाई गयी थी। यह सुविधा परीक्षण घटकों के लिए एक टैपिट स्प्रिंग के रूप में छोटे और 75 एचपी ट्रैक्टर जैसे बड़े उपकरणों में उपयोग करने में सक्षम है।



मॉडल परीक्षण कक्ष

- II. **वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) चेन्नई, तमिलनाडु:** वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।



जीएआरसी,चेन्नई

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) के रूप में विकसित हुआ है:
- विद्युत-चुम्बकीय अंतःक्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
 - उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
 - इन्फोर्ट्रॉनिक्स



ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला

- ii. कोविड-19 महामारी के बावजूद, जीएआरसी वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिना किसी रुकावट के घटक-स्तरिय प्रमाणन और विकासात्मक परीक्षणों से जुड़ी परीक्षण गतिविधियों का संचालन करने में सक्षम था। विभिन्न सुविधाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है;
- (क) **पावरट्रेन लैब:** पावरट्रेन सुविधा में, होमोलोगेशन परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लैब में BS-VI परीक्षणों के लिए इंजन टेस्ट सेल का व्यावसायिक संचालन और LDV और HDV के BSVI परीक्षण के लिए वास्तविक ड्राइव उत्सर्जन को जोड़ा गया था।



इंजन परीक्षण कक्ष



वाहन परीक्षण कक्ष

- (ख) **टेस्ट ट्रैक/व्हीकल ईवैल्यूएशन लैब:** के बाद दोनों छोर पर टर्न अराउंड एरिया 100 मीटर लंबाई का एक नया वाटर वेड टेस्ट ट्रैक विकसित किया गया है, ताकि इसमें वेडिंग क्षमता परीक्षण की कई शिफ्ट की जा सके। वेडिंग क्षमता के लिए इस ट्रैक में 500 मिमी तक का पानी भरा जा सकता है।

हाई-स्पीड टेस्ट ट्रैक, ब्रेकिंग सरफेस टेस्ट ट्रैक, स्टिरिंग पैड को मैसर्स टीयूवी रीनलैंड द्वारा गुणवत्ता और प्रदर्शन के लिए पुनर्मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया। हमारे मौजूदा बाहरी शोर परीक्षण ट्रैक का मैसर्स टीयूवी रीनलैंड द्वारा 10844:2014 के अनुपालन सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया है। जीएआरसी ने परीक्षण ट्रैक में वाहनों पर प्रदर्शन परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए वीबीओएक्स एक प्रसिद्ध जीपीएस-आधारित डेटा लॉगर खरीदा गया है।



टेस्ट हिल ट्रैक

- (ग) **ईएमआई / ईएमसी लैब:** टू-कॉम्पोनेन्ट चैम्बर और हार्मोनिक इमुनीटी लैब को चालू किया गया और यह परीक्षण की सुविधाओं के लिए उपलब्ध है।
- (घ) वर्ष 2020-21 में, जीएआरसी द्वारा पूरे दक्षिण भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता के लिए ईवी प्रचार गतिविधियाँ आयोजित की गईं एसआरएम विश्वविद्यालय के साथ बी-टेक डिग्री और ईवी तकनीकी और परीक्षण विषय वस्तु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो विशेष रूप से छात्रों के लिए अनुकूलित है।



ईएमसी/ईएमआई परीक्षण प्रयोगशाला

- III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स-इंदौर) :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ में विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।



नैट्रेक्स, इंदौर

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- वाहन गतिकी (वीडीवाई)



वाहन गतिकी (वीडीवाई)

- ii. माननीय राज्य मंत्री MoHI&PE श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर 2020 को नैट्रेक्स सुविधा का दौरा किया। उन्हें केंद्र और इसकी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई और सभी सुविधाओं का दौरा किया गया। उन्होंने नेट्रेक्स में स्थापित सुविधाओं की सराहना की।



माननीय राज्य मंत्री (MoHI&PE) का नैट्रेक्स दौरा,

- iii. पूरी दुनिया की तरह नैट्रेक्स ने भी कोविड-19 महामारी का सामना किया, फिर भी नैट्रेक्स के परचम में निम्नलिखित उपलब्धियां जोड़ी जा सकती हैं:
- क) नैट्रेक्स में 16-31 अगस्त 2020 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने, पॉलिथीन विरोधी अभियान, नैट्रेक्स के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और नैट्रेक्स में वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गई। ये सभी गतिविधियां भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की गई।
 - ख) हिंदी पखवाड़ा 14-29 सितंबर 2020 के दौरान मनाया गया, जिसमें नैट्रेक्स में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, आशुलिपि, अनुवाद आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
 - ग) वीडोवाई वर्कशॉप (वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर) एसएई इंडिया के सहयोग से 8-9 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। इसमें दुनिया भर से करीब 150 प्रतिभागी शामिल हुए थे। यह कार्यशाला वाहन की गतिशीलता के मूल सिद्धांतों पर केंद्रित थी और हाइब्रिड / इलेक्ट्रिकल वाहन डिजाइन के ज्ञान के साथ-साथ वाहन इंजीनियरिंग की जानकारी भी थी।

- घ) 26 नवंबर 2020 को टीम नैट्रैक्स द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। 20 जनवरी 2021 को श्रृंखला में, "भारत का संविधान" पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता नैट्रैक्स में आयोजित की गई और 22 मार्च 2021 को, भारत के संविधान पर - चुनौतियाँ और सुझाव विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया गया।

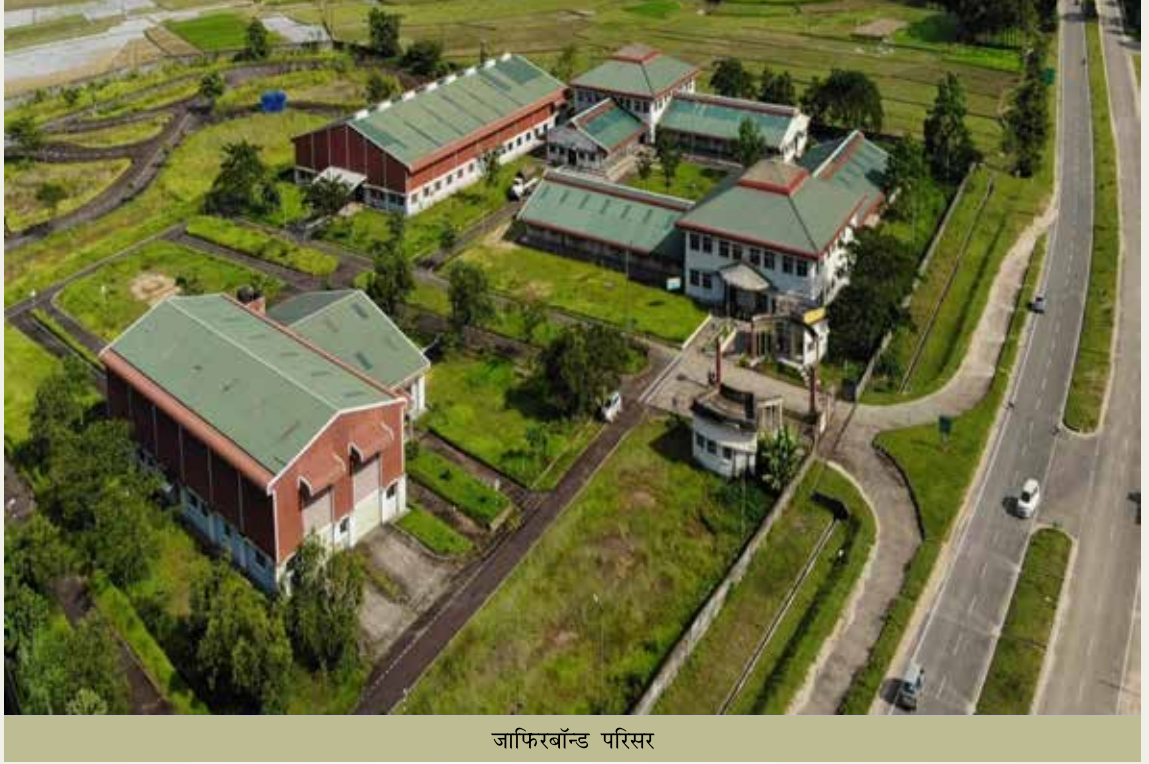


माननीय राज्य मंत्री (MoH&PE) के दौरे के दौरान नैट्रैक्स में वृक्षारोपण,



केंद्र प्रमुख द्वारा संविधान दिवस पर वार्ता

- IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआईएमटी-सिलचर):**
एनआईआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।



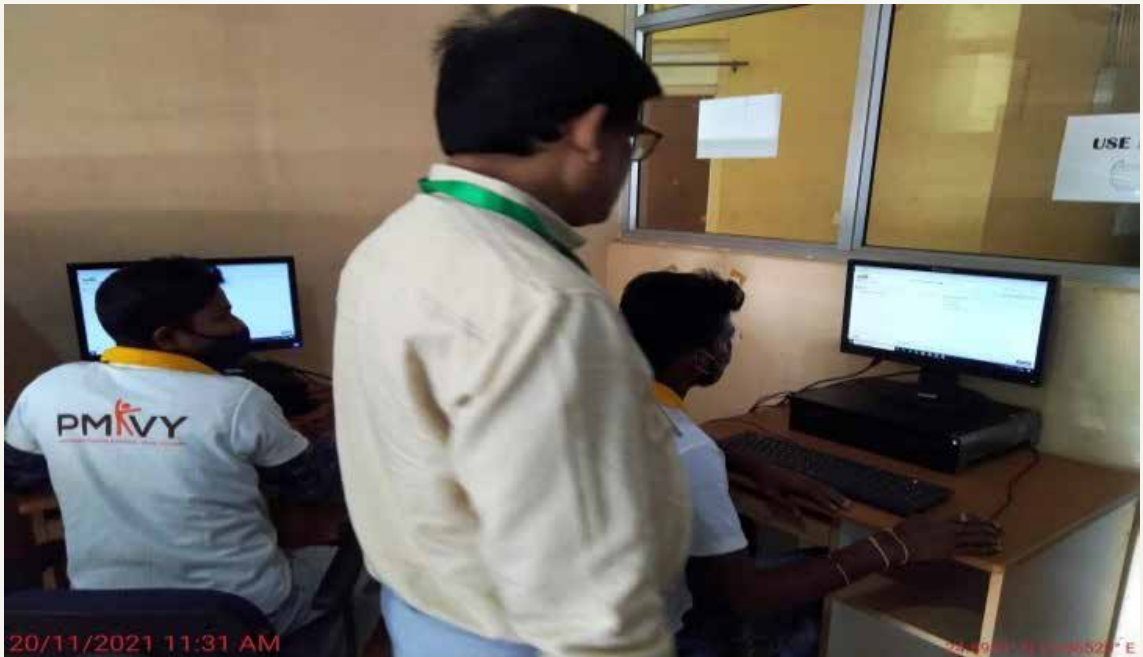
जाफिरबॉन्ड परिसर

- i) इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। ढोलचेरा की सुविधा में 1 किमी लंबा पहाड़ी ट्रैक है। एनआईआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।
- ii) ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र (DTI) एलएमवी फ्रेडोर प्रशिक्षण और कैब ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (गैर-परिवाहन से परिवाहन) के लिए स्व-प्रायोजित श्रेणी के तहत नियामित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 20-21 में कुल 68 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण के विज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जो सड़क सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ा देती हैं।
- iii) मकैनिकल ट्रेनिंग केन्द्र (MTI) को पीएमकवीवाई 2.0 के तहत पूर्वोत्तर सरकार संसाधनों द्वारा लघु अवधि परीक्षण ट्रेनिंग (एसटीटी) कार्यक्रम के लिए ऑटोमोटिव सर्विस टेक्निशन एल-4 और वैल्विंग टेक्निशन कटेगरी में लक्ष्य आवंटन के लिए भी चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 60 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
- iv) परिवहन विभाग, असम सरकार ने एमओआरटीएच के दिशानिर्देशों के अनुसार, 15 जुलाई 2022 से नैट्रिप सिलचर की स्वचालित परीक्षण सुविधा में केवल कच्छार जिले में वाणिज्यिक वाहन का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण शुरू करने का औपचारिक निर्देश जारी किया।



प्रयोगिकी मूल्यांकन

- v) पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कार्यक्रम के लिए 200की संख्या में पूर्व नामांकित उमीदवारों के लिए परीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। जो अन्य नियामित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ - साथ कोविड -19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।



ट्रेनिंग सेशन

8. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।
9. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

— • • —

वित्तीय सूचना 2020-2021



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

(राशि ₹ में)

कॉर्पस/पूंजी निधि एवं देनदारियां	अनुसूची	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	41,60,49,691.00	12,97,31,316.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	24,13,18,600.20	9,34,09,232.20
कुल		65,73,68,291.20	22,31,40,548.20
संपत्तियां		राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को
अचल संपत्तियां	8	21,667.00	26,551.00
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	11	65,73,46,624.20	22,31,13,997.20
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
कुल		65,73,68,291.20	22,31,40,548.20
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25	-	-

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड)

एम. नं.: 096778

यूडीआईएन: 24096778BKCZBQ8608

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

दिनांकित : 29.05.2024

स्थान : नई दिल्ली

(अवर सचिव)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी (एएस-12 के अनुसार आस्थगित आय)	13	56,08,940	1,13,68,830
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से, निधियों में स्थानांतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.	16		
अर्जित व्याज	17		
अन्य आय	18		
तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		
कुल (क)	-	56,08,940	1,13,68,830
व्यय			
स्थापना व्यय	20	4,675	8,113
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	55,99,381	1,13,54,266
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय।	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	4,884	6,451
कुल (ख)	-	56,08,940	1,13,68,830
शेष राशि व्यय पर आय का अधिक होना (क - ख)			
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण			
शेष अधिशेष/(घाटा) को कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया जाता है		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड)

एम. नं.: 096778

यूडीआईएन: 24096778BKCZBQ8608

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(अवर सचिव)

दिनांकित : 29.05.2024

स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूँजी निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
जोड़ें: सरकार से प्राप्त अनुदान।	-	-
घटाएँ: आस्थगित आय	-	-
जोड़ें: कॉर्पस/पूँजी निधि में योगदान	-	-
जोड़ें/(घटाएँ) : आय और व्यय खाते से स्थानांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 2- आरक्षित और अधिशेष

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. पूँजी रिजर्व	-	-
पिछले खातों के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:	-	-
पिछले खातों के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष रिजर्व	-	-
पिछले खातों के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य रिजर्व	-	-
पिछले खातों के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 3- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क1) अनुसंधान एवं विकास निधि		
क) फंड का प्रारंभिक शेष	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय	-	-
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (क1)		

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ख1) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय	-	-
-अचल संपत्तियां	-	-
-अन्य (अनुसंधान एवं विकास हेतु देय व्यय)	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
कुल (ख1)	-	-
शुद्ध राशि (क1-ख1)	-	-
क2) मांग प्रोत्साहन वितरण तंत्र (डीआईडीएम) निधि (अनुसूची 25 की नोट संख्या 4 देखें)		
क) फंड का प्रारंभिक शेष	12,97,31,316	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	1,49,00,00,000	99,00,00,000
घटाएँ: एमएचआई को डीआईडीएम निधि की वापसी	6,76,94,500	-
घटाएँ: पिछले वर्ष के अनुदान प्राप्य का प्रत्यावर्तन	- 1,42,23,05,500	6,16,30,725 92,83,69,275
i. दान/अनुदान		
ii. निधियों के कारण किए गए निवेश से आय		
iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य		
कुल (क2)	1,55,20,36,816	92,83,69,275
ख2) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय	-	-
- अचल संपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-
किराया	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
वर्ष के दौरान वितरित डीआईडीएम अनुदान	98,65,18,843	96,04,24,082
घटाएँ: पिछले वर्ष देय अनुदान का प्रत्यावर्तन	6,75,40,877	91,89,77,966 22,93,27,000 73,10,97,082
वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान	- 21,70,09,159	- 6,75,40,877
कुल (ख2)	- 1,13,59,87,125	- 79,86,37,959
कुल (क2-ख2)	- 41,60,49,691	- 12,97,31,316
कुल [(क1-ख1)+(क2-ख2)	- 41,60,49,691	- 12,97,31,316

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 4- सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. केन्द्र सरकार				
2. राज्य सरकार	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-	-	-
घ) अर्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और उधार

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. केन्द्र सरकार				
2. राज्य सरकार	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-	-	-
8. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति				
ख) अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां	-	-	-	-
2. विविध लेनदार	-	-	-	-
क) माल के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	35,09,924
3. अग्रिम राशि प्राप्त हुई	-	-	-	-
4. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-	-	-
5. वैधानिक दायित्व	-	-	-	-
क) अतिदेय	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	3,89,992
6. अन्य चालू देयताएं	-	-	-	-
क) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु देय अनुदान	-	-	-	-
ख) देय व्यय	-	99,120	-	66,080
ग) अर्जित ब्याज जो भारत सरकार को देय है (अनुसूची 25 की नोट संख्या 2 देखें)	-	73,93,488	-	94,76,586
कुल (क)	-	74,92,608	-	1,34,42,582
ख. प्रावधान	-	-	-	-
1) कराधान के लिए	-	-	-	-
2) ग्रेच्युटी	-	-	-	-
3) सेवानिवृत्ति/पेंशन	-	-	-	-
4) संचित अवकाश नकदीकरण	-	-	-	-
5) व्यापार वारंटी/दावे	-	-	-	-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान के लिए प्रावधान	-	21,70,09,159	-	6,75,40,877
कुल (ख)	-	21,70,09,159	-	6,75,40,877
ग. अन्य परियोजना अनुदान (स्थापना और बुनियादी ढांचा व्यय [अनुसूची 25 की नोट संख्या 3 देखें])	-	-	-	-
प्रारंभिक जमा	-	1,24,25,773	-	1,37,94,603
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	-	56,08,940	-	1,13,68,830
कुल (ग)	-	1,68,16,833	-	1,24,25,773
कुल (क+ख+ग)	-	24,13,18,600	-	9,34,09,232

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
अचल संपत्तियों की अनुसूची
31 मार्च, 2021 को

अनुसूची-8
(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक			अंत में लागत/ मूल्यंक	मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	लागत/मूल्यंकन आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती		वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान वृद्धि पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. अचल संपत्ति										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर दी गई भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंधित न होने वाली भूमि पर अधिसंरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर फिक्स्चर										
6. कार्यालय उपकरण	48,195	-	-	48,195	25,248	3,442	-	28,690	19,505	22,947
7. कंप्यूटर/उपकरण	69,511	-	-	69,511	65,907	1,442	-	67,349	2,162	3,604
8. विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और डब्ल्यू सप्लाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल योग	1,17,706	-	-	1,17,706	91,155	4,884	-	96,039	21,667	26,551
पिछले वर्ष	1,17,706	-	-	1,17,706	84,704	6,451	-	91,155	26,551	33,002
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर									21,667	26,551

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 9- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10- निवेश-अन्य

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 11-चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	-
1. इन्वेंटरी	-	-
क) स्टोर और स्पेयर्स	-	-
ख) फुटकर उपकरण	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-
-तैयार माल	-	-
-काम चालू	-	-
-कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकद शेष	22,870	22,870
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता	-	-
- जमा खाता	-	-
- बचत खाता	65,73,23,754	65,73,23,754
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
- चालू खाता	-	-
- जमा खाता		
- बचत खाता		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	65,73,46,624	22,31,13,997

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य		
1. ऋण	-	-
क) कर्मचारी	-	-
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	-	-
2. अग्रिम राशि और अन्य राशियाँ जो प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य हैं:		
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान पर	-	-
ग) डीआईडीएम अनुदान प्राप्य	-	-
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
ख) निवेश पर	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य	-	-
4. प्राप्य दावे		
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	-	65,73,46,624
		22,31,13,997

अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्कैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क		
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज		
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
ङ) अन्य कृपया निर्दिष्ट करें		
कुल		

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 13- अनुदान/सब्सिडी

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2) राज्य सरकार	-	-	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-	-	-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-	-	-
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-	-
6) आस्थगित अनुदान (अनुसूची 25 की नोट संख्या 1 देखें)	-	56,08,940	-	1,13,68,830
कुल		56,08,940		1,13,68,830

अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-	-	-
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5) अन्य कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 15- निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/प्रदान की गई निधि से, निधियों में स्थानांतरित

विवरण	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) ब्याज	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 16-रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय।

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 17- अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) सावधि जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-
2) बचत खाते पर	-	-	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-
3. ऋण पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर ब्याज	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 18- अन्य आय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-	-	-
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-	-	-
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ	-	-	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-
4. विविध आय	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
1) समापन स्टॉक	-	-	-	-
क) तैयार माल	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
2. कम प्रारंभिक स्टॉक	-	-	-	-
क) तैयार माल	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 20- स्थापना व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-	-	-
ख) भत्ते और बोनस	-	-	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान	-	-	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण निधि	-	-	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति लाभ पर व्यय	-	-	-	-
छ) अन्य	-	4,675	-	8,113
कुल	-	4,675	-	8,113

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) खरीदारी	-	-	-	-
ख) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय	-	-	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज अंदर की ओर	-	-	-	-
घ) बिजली एवं ऊर्जा	-	-	-	-
ङ) जल प्रभारित	-	-	-	-
च) बीमा	-	-	-	-
छ) मरम्मत और रखरखाव	-	-	-	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-	-	-
झ) किराया, दरें	-	-	-	-
ञ) वाहन चलाना और रखरखाव	-	5,04,000	-	-
ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	-	-	-	-
ठ) मुद्रण और स्टेशनरी	-	-	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन शुल्क	-	-	-	-
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	-	4,95,600	-	-
ण) सदस्यता व्यय	-	-	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-	-	-
थ) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	-	33,040	-	33,040
द) आतिथ्य व्यय	-	6,00,000	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	-	29,48,118	-	73,55,413
न) खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
प) अप्राप्य शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी गई	-	-	-	-
फ) पैकिंग शुल्क	-	-	-	-
ब) माल दुलाई और अग्रेषण व्यय	-	-	-	-
भ) विज्ञापन	-	-	-	-
म) बैंक शुल्क	-	283	-	6
य) सम्मेलन व्यय	-	-	-	15,32,576
र) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर व्यय	-	10,18,340	-	5,50,550
ल) पूर्व अवधि आइटम	-	-	-	1,37,600
व) क्लाउड स्टोरेज व्यय	-	-	-	17,45,081
कुल	-	55,99,381	-	1,13,54,266

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

तुलनपत्र

31 मार्च, 2021 को

अनुसूची 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुसूची 23- ब्याज

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) निश्चित ऋण पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को	भुगतान	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क) उपलब्ध शेष	22,870	22,870	बैंक शुल्क	283	6
ख) बैंक खाते			कार किराये का शुल्क	5,04,000	-
i) चालू खातों में	-	-	क्लाउड और स्टोरेज सेवा	6,00,000	16,58,221
ii) जमा खातों में	-	-	परामर्श शुल्क	68,48,034	31,09,467
iii) जमा खातों में	22,30,91,127	18,75,97,375	सम्मेलन व्यय	4,95,600	15,32,576
			प्रोत्साहन खाता	98,65,18,843	72,13,13,082
			कार्यालय का व्यय	4,675	8,113
			वेबसाइट विकास शुल्क	10,18,340	5,36,960
			पूर्व अर्वाधि व्यय	-	1,37,600
II. प्राप्त अनुदान			II. अतिरिक्त धन की वापसी		
क) भारत सरकार से	1,50,00,00,000	1,00,00,00,000	क) भारत सरकार को	6,76,94,500	-
III. प्राप्त ब्याज			III. अन्य भुगतान		
क) बैंक जमा पर	1,04,70,576	1,49,19,788	सरकार को ब्याज हस्तांतरण	1,25,53,674	1,15,24,531
			देय व्यय	-	43,200
			देय प्रोत्साहन	-	23,91,11,000
			शुल्क और कर	-	4,51,280

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का

प्राप्ति	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को	भुगतान	राशि (₹) 31.03.2021 को	राशि (₹) 31.03.2020 को
			IV. अंतिम शेष		
			क) उपलब्ध शेष	22,870	22,870
			ख) बैंक खाते		
			i) चालू खातों में	-	-
			ii) जमा खातों में	-	-
			iii) बचत खाते	65,73,23,754	22,30,91,127
कुल	1,73,35,84,573	1,20,25,40,033	कुल (₹)	1,73,35,84,573	1,20,25,40,033

(राशि ₹ में)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए, मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBQ8608

दिनांकित : 29.05.2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड
(अवर सचिव)

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

अनुसूची संख्या - 24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (नैब) एक स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में लॉन्च की गई फेम योजना का संचालन और निगरानी करना है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. अचल संपत्तियां

- अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत पर किया गया है, जिसमें माल दुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने में किए गए हैं।
- अचल परिसंपत्तियों के निपटान के समय, परिसंपत्ति का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है तथा शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यहास

क) अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

ख) सरकारी अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और इसे लेखांकन मानक-12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन करते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. सरकारी अनुदान

क) फेम योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए सरकारी अनुदान निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, भी निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं।

ख) प्रशासनिक व्यय अर्थात् स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए फेम योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान को "अन्य परियोजना अनुदान" शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है और ऐसे अनुदान के अप्रयुक्त शेष को चालू देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के विरुद्ध व्यय का लेखा-जोखा लेखांकन मानक-12 "सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन" के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है "मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

6. प्रावधान

उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देनदारियों और हानियों के लिए प्रावधानों को हिसाब में लिया जाता है।

अनुसूची संख्या- 25

खातों और आकस्मिक देयताओं के लिए नोट्स

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सोसायटी ने कुल ₹ 56,08,940 का प्रशासनिक व्यय किया है, जिसे सोसायटी ने एएस-12 के अनुसार ₹ 56,08,940 की आस्थगित अनुदान आय दर्ज की है और तदनुसार इसे स्थापना और बुनियादी ढांचे के व्यय के लिए अनुदान के तहत आय के रूप में दिखाया गया है।
2. सोसायटी ने बचत खाते में पड़े अधिशेष धन पर वर्ष के दौरान बैंक से ₹ 1,04,70,576 का ब्याज अर्जित किया है। पिछले वर्ष देय ब्याज ₹ 94,76,586 था, इसलिए देय कुल राशि ₹ 1,99,47,162 थी। ये अधिशेष धन एमएचआई से प्राप्त विभिन्न अनुदानों के माध्यम से थे। एमएचआई के निर्देशों के अनुसार इसे वापस किया जाना है। चालू वर्ष के दौरान सोसायटी ने ₹ 1,25,53,674 की राशि वापस की है, और इसलिए शेष राशि ₹ 73,93,488 को चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है।
3. को स्थापना एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत ₹ 1,00,00,000 की राशि प्राप्त हुई है। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान सोसायटी ने ₹ 56,08,940 का व्यय किया है। ₹ 1,24,25,773 की आरंभिक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि पर विचार करने के बाद, वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि ₹ 1,68,16,833 है, जिसे चालू देनदारियों के अंतर्गत 'अन्य परियोजना अनुदान' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. वर्ष 2020-21 के दौरान सोसायटी को एमएचआई से डिमांड इंसेंटिव डिलीवरी मैकेनिज्म (डीआईडीएम) फंड के रूप में ₹ 1,49,00,00,000 की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें ₹ 12,97,31,316 का प्रारंभिक डीआईडीएम फंड बैलेंस जोड़ने और वर्ष के दौरान किए गए ₹ 6,76,94,500 के डीआईडीएम फंड के रिफंड को घटाने के बाद, वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल डीआईडीएम फंड ₹ 1,55,20,36,816 है। जिसमें से सोसायटी ने वर्ष के दौरान ₹ 98,65,18,843 की राशि वितरित की है। ₹ 6,75,40,877 के देय प्रारंभिक डीआईडीएम अनुदान को समायोजित करने के बाद वर्ष के दौरान भुगतान किया गया शुद्ध डीआईडीएम अनुदान ₹ 91,89,77,966 है। इसके अलावा, वर्ष के अंत तक दर्ज किए गए लेकिन अस्वीकृत दावों के संबंध में कुल ₹ 21,70,09,159 का प्रावधान किया गया है और इसे चालू देनदारियों और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। उपर्युक्त समायोजन के बाद वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,55,20,36,816 के उपलब्ध डीआईडीएम फंड से विनियोजित किया जाने वाला कुल डीआईडीएम अनुदान ₹ 1,13,59,87,125 है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त डीआईडीएम फंड ₹ 41,60,49,691 है।
5. वर्तमान आंकड़ों को अधिक तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों का एक समान प्रारूप
संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(सीए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZBQ8608

दिनांकित : 29.05.2024
स्थान : नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(अवर सचिव)

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD, MANESAR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) as at 31 March 2021, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately

3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 21.2 of the Rules and Regulations of the Board in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

Comments on Accounts

A. General Comments

- A.1** Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June. However, NAB had submitted its accounts for the year 2020-21 for Audit only in October 2023. Further, in view of the comments included in the SAR for

the Year 2014-15 as issued in February 2024, NAB recast its accounts for the year 2014-15 to 2022-23 as pre recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024.

The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes to Accounts.

A.2 The impact of recasting of annual accounts for the year 2020-21 by NAB is as under:

- (i) **Balance Sheet:** Corpus Fund decreased by ₹ 6,498.77 lakh, Earmarked/Endowment Fund increased by ₹ 4,160.50 lakh, Current Liabilities and Provisions increased by ₹ 2,338.26 lakh and Total Assets decreased by ₹ 0.01 lakh.
- (ii) **Income and Expenditure Account:** Total Income decreased by ₹ 14,943.91 lakh, Total Expenditure decreased by ₹ 9,904.19 lakh and Surplus in Income and Expenditure Account decreased by ₹ 5,039.72 lakh.

A.3 As per Clause 15.3(b) of the Rules and Regulations of NAB, the Governing Council shall hold at least one meeting within every six months at such time and place as the Chairman may determine. Further, as per Clause 10.2 of the Rules and Regulations, the Annual General Meeting of NAB shall be held at least once in every year at such time and place as may be determined by the Governing Council. However, during the year 2020-21, neither any meeting of Governing Council was held, nor the Annual General Meeting was held.

B. Grants-in-aid

The position of receipt and utilization of grants-in-aid by NAB during the year 2020-21 was as under:

(₹ in lakh)

Particulars	Establishment and Infra Grant	DIDM Grant	Total
Balance as on 1 April 2020	124.00	1,297.31	1,421.31
Grants received during the year	100.00	14,900.00	15,000.00
Grants refunded	-	676.94	676.94
Grants utilised during the year	56.04 (See Footnote)	11,359.87	11,415.91
Balance as on 31 March 2021	167.96	4,160.50	4,328.46

Besides, NAB earned interest of ₹104.71 lakh on grants during the year 2020-21.

1 Amount utilised against 'Establishment and Infra Grant' comprises Establishment expenses of ₹ 0.05 lakh and Other Administrative Expenses of ₹ 55.99 lakh.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Account, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure 1** to this Audit Report, give a **true and fair** view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive Board, Manesar as at 31 March 2021; and
 - (b) In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the Surplus/Deficit for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 10 JAN 2025

**(S. Ahladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs**

Annexure 1 to Separate Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

There was no internal audit system in NAB, and internal audit was not conducted during the year 2020-21.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization. NAB received grants and incurred expenditure during the FY 2020-21. However, NAB was not manned by regular manpower, and the activities of NAB were being looked after by the officers/officials from the Department of Heavy Industry (DHI), now Ministry of Heavy Industries, in addition to their respective charges in DHI.

3. System of physical verification of Fixed Assets

NAB did not conduct physical verification of fixed assets during the year 2020-21.

4. System of physical verification of inventory

NAB did not have any inventory during the year 2020-21

5. Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in payment of undisputed statutory dues during 2020-21.

Director (AMG-III)

क्र.सं	सीएंडएजी की टिप्पणियां	एनएबी का स्पष्टीकरण
क.1	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 में प्रावधान है कि स्वायत्त निकायों द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक खाते 30 जून तक संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। हालाँकि, एनएबी ने वर्ष 2020-21 के अपने खाते अक्टूबर 2023 में ही ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, फरवरी 2024 में जारी वर्ष 2014-15 के लिए एसएआर में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर। एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक में अपने बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते एनएबी द्वारा 24 जुलाई, 2024 को ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर खातों के पुनर्रचना और उसके प्रभाव से सम्बंधित तथ्य को लेखा टिप्पणियों में नहीं लिया गया है।	वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए एनएबी के खाते फरवरी 2020 में सीएजी को सौंप दिए गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 6 नवंबर 2020 को जारी की गई थी, इस बीच कोविड-19 महामारी, नैटिस के समापन और समामेलन प्रक्रिया (जो फरवरी 2023 में पूरी हुई) के कारण, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के वार्षिक खाते संसद में नहीं रखे जा सके। सरकारी आदेश के अनुसार, भारत में विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैट्रिस) की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने के बाद, एमएचआई के दिनांक 17.03.2021 के आदेशा अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए जीएआरसी, एनएटीआरएक्स, आईसीएटी आदि केंद्रों का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से 2017-18 के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण में, एनएबी ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 के वार्षिक खातों को फिर से तैयार किया और उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वर्ष 2014-15 के लिए पुनर्गठित खातों पर एसएआर 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। एसएआर में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर, एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को एमएचआई में सीएजी अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते 24 जुलाई 2024 को जीसी की ताजा मंजूरी के बाद सीएंडएजी ऑडिट के लिए एनएबी द्वारा प्रस्तुत किए गए।

		विलय के बाद, एनएबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के वार्षिक लेखों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली टिप्पणियों के अनुसार पुनः तैयार किया गया है तथा अंतिम टिप्पणियों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया है। अब, सीएण्डएजी ने 10.01.2025 को वित्त वर्ष 2020-21 तक के लिए अंतिम एस ए आर को “सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण” के रूप में जारी किया है। वित्त वर्ष 2013-14 और 2018-19 के लिए ये वार्षिक खाते सीएण्डएजी रिपोर्ट के साथ 22.11.2024 और 13.12.2024 को जीसी और एजीएम, एनएबी के अनुमोदन के अनुसार शीतकालीन सत्र, 2024 में संसद के दोनों सदनों में रखे/प्रस्तुत किए गए हैं। उपरोक्त विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ: (i) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार खाते तैयार नहीं किए गए थे। (ii) भारत में कोविड-19 महामारी, जो कि मार्च, 2020 से शुरू हुई। (iii) नैटिस का एनएबी के साथ विलय प्रक्रियाधीन था। खातों के पुनर्रचना के संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते एवं खाते के नोटों के अंतिम पृष्ठ पर, यह उल्लेख किया गया है कि वार्षिक खाते “केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप में संशोधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित हैं”
क.2	एनएबी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखों के पुनर्रचना का प्रभाव निम्नानुसार है: (i) बैलेंस शीट: कॉर्पस फंड में ₹ 6,498.77 लाख की कमी आई, निर्धारित/बंदोबस्ती फंड में ₹4,160.50 लाख की वृद्धि हुई और चालू देनदारियों और प्रावधानों में ₹2,338.26 लाख की वृद्धि हुई और कुल परिसंपत्तियों में ₹ 0.01 लाख कमी आई। (ii) आय और व्यय खाता: कुल आय में ₹ 14,943.91 लाख की कमी आई, कुल व्यय में ₹ 9,904.19 लाख की कमी आई और आय और व्यय खाते में अधिशेष में ₹5,039.72 लाख की कमी आई।	उल्लेखनीय है कि यह प्रभाव केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार वार्षिक लेखों के पुनर्गठन संशोधन के कारण है।

क.3

एनएबी के नियमों और विनियमों के खंड 15.3 (बी) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल हर छह महीने में कम से कम एक बैठक ऐसे समय और स्थान पर आयोजित करेगी, जिसे अध्यक्ष निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा, नियमों और विनियमों के खंड 10.2 के अनुसार, एनएबी की वार्षिक आम बैठक हर साल कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी, जिसे गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्धारित किया है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 के दौरान, न तो गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक हुई और न ही वार्षिक आम बैठक हुई।

इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथ में ले लिया।

वर्तमान में वर्ष 2022 से सोसायटी नियमित आधार पर जीसी बैठक, एजीएम आदि आयोजित कर रही है।

सोसायटी का पंजीकरण 27 अगस्त, 2013 को हुआ। सोसायटी ने वर्षवार निम्नलिखित बैठकें आयोजित की हैं जो इस प्रकार हैं।

सं	वर्ष	जी.सी. बैठक	एजीएम/ईजीएम
1	2013	पहली 02.09.2013	
2	2014	-	
3	2015	-	
4	2016	दूसरी 08.04.2016	
5	2017	-	
6	2018	-	
7	2019	तीसरी 15.10.2019	पहली 15.10.2019
8	2020	-	
9	2021	-	
10	2022	चौथी 09.02.2022	दूसरी 09.02.2022
		पाँचवीं 02.11.2022	02.11.2022
11	2023	छठी 06.04.2023	तीसरी 06.04.2023
		सातवीं 25.08.2023	25.08.2023
12	2024	आठवीं 19.07.2024	
		नवीं 22.11.2024	चौथी 22.11.2024
		दसवीं 13.12.2024	13.12.2024

इसके अलावा, 17.03.2021 के एमएचआई आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए केंद्रों जैसे जीएआरसी, नैट्रेक्स, आईसीएटी आदि का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस (हस्तान्तरण कर्ता सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (हस्तान्तरित सोसाइटी) के कर्मचारी हैं।

नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हुई।

ख.	सहायता अनुदान वर्ष 2020-21 के दौरान एनएबी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी: (लाख ₹ में) <table><tr><th>विवरण</th><th>स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान</th><th>डीआ. ईडीएम अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि</td><td>124.00</td><td>1,297.31</td><td>1,421.31</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान</td><td>100.00</td><td>14,900.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td>प्राप्त अनुदान</td><td>-</td><td>676.94</td><td>676.94</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान</td><td>56.04</td><td>11,359.87</td><td>11,415.91</td></tr><tr><td>31 मार्च 2021 तक शेष राशि</td><td>167.96</td><td>4,160.50</td><td>4,328.46</td></tr></table> इसके अतिरिक्त, एनएबी ने वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान सहायता पर ₹ 104.71 लाख का ब्याज अर्जित किया।	विवरण	स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान	डीआ. ईडीएम अनुदान	कुल	1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	124.00	1,297.31	1,421.31	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	100.00	14,900.00	15,000.00	प्राप्त अनुदान	-	676.94	676.94	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	56.04	11,359.87	11,415.91	31 मार्च 2021 तक शेष राशि	167.96	4,160.50	4,328.46	नोट कर लिया
विवरण	स्थापना और बुनियादी ढांचा अनुदान	डीआ. ईडीएम अनुदान	कुल																							
1 अप्रैल 2020 तक शेष राशि	124.00	1,297.31	1,421.31																							
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	100.00	14,900.00	15,000.00																							
प्राप्त अनुदान	-	676.94	676.94																							
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	56.04	11,359.87	11,415.91																							
31 मार्च 2021 तक शेष राशि	167.96	4,160.50	4,328.46																							
ग.	प्रबंधन पत्र वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।	नोट कर लिया																								

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 1		
1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता। एनएबी में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी और वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था।	इससे पहले, एनएबी का कार्य फेम योजना के तहत प्रोत्साहनों का भुगतान जारी करने तक ही सीमित था। इन योजनाओं का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जा रहा था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों एवं कामकाज अपने हाथ में ले लिया। नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हुई। नैटिस के एनएबी के साथ विलय के बाद, वित्त वर्ष 2021-22 से आंतरिक लेखा परीक्षा भी शुरू कर दी गई है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी। एनएबी को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान प्राप्त हुआ और व्यय हुआ। हालांकि, एनएबी में नियमित जनशक्ति नहीं थी और एनएबी की गतिविधियों की देखरेख भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), अब भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी, जो डीएचआई में अपने संबंधित प्रभागों के अलावा थी।	17.03.2021 के एमएचआई आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन कर लिया। आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए केंद्रों जैसे जीएआरसी, एनएटीआरएक्स, आईसीएटी आदि का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। अब, एकीकरण के बाद, नैटिस (हस्तान्तरण कर्ता सोसाइटी) के ये कर्मचारी अब एनएबी (हस्तान्तरित सोसाइटी) के कर्मचारी हैं। नैट्रिप परियोजना वर्ष 2021 में पूरी हो गई और एनएबी के साथ नैटिस के विलय की प्रक्रिया फरवरी, 2023 में पूरी हो गई। वर्तमान में, एनएबी परिचालन को आगे बढ़ाने के लिए, एनएबी में तीन (3) कार्यात्मक सदस्यों के पद और पांच (5) निदेशक, एनएबी के पद का अतिरिक्त प्रभार एमएचआई में कार्यरत अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके अलावा, दिनांक 01.07.2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार, सभी एनएबी परीक्षण केंद्रों के लिए लेखांकन शीर्षों, नीति और प्रक्रियाओं में एकरूपता की दिशा में एक एसओपी तैयार और अपनाया गया है, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुरूप है।
3	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली एनएबी ने वर्ष 2020-21 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया।	31.03.2021 तक सोसायटी के पास सकल मूल्य पर अचल संपत्ति केवल ₹1.18 लाख (शुद्ध मूल्य ₹ 0.22 लाख) की थी। परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है: सॉफ्टवेयर सहित एक कंप्यूटर एक नं. यू.पी.एस. दो प्रिंटर अचल सम्पत्ति रजिस्टर और उसके अस्तित्व का विवरण लेखापरीक्षा टीम को दिया गया, जो लेखा पुस्तकों के अनुरूप था।
4	रहतिया के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2020-21 के दौरान एनएबी के पास कोई रहतिया नहीं थी।	नोट कर लिया
5	वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता एनएबी वर्ष 2020-21 के दौरान निर्विवाद वैधानिक बकाया का भुगतान नियमित रूप से करता था।	नोट कर लिया



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय : द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051
दूरभाष: +91-124-6900000